



माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर के  
न्यायालय मे

3221/3754-BBR-15

प्रकरण क्रमांक 1768-पी.बी.आर./13

श्रीमती मधुबाला पति ज्ञानप्रकाश निरोले  
निवासी- डी.एम.37,38 सुखलिया, हीरा नगर इंदौर।

—प्रार्थी

**विरुद्ध**

1. कु. आफशा पिता डॉ अमजद अली।
2. श्रीमती सुरैया निलोफर पति डॉ अमजदअली  
निवासी- 15,बजरिया मेनरोड इंदौर।
3. करणसिंह पिता भागीरथ
- 4.. अम्बाराम पिता भागीरथ  
निवासी- ग्राम असरावद खुर्द तहसील व जिला इंदौर

— प्रत्यर्थागण

आवेदन पत्र प्रकरण को पुर्नस्थापित किये जाने बाबद

प्रार्थी की ओर से निवेदन है कि :-

- 1- यह कि, प्रार्थी के द्वारा श्रीमान् के समक्ष श्रीमान् अपर आयुक्त महोदय इंदौर संभाग इंदौर द्वारा प्रकरण क्रमांक 144/निगरानी/08-09 में दिनांक 30/03/2013 को पारित आदेश के विरुद्ध निगरानी प्रस्तुत की गई । जो प्रकरण क्रमांक 1768 पी.बी.आर./13 पर पंजीबद्ध होकर उक्त प्रकरण में प्रार्थी की जानकारी के बगैर अनुपस्थिति में दिनांक 19/10/2015 को पारित आदेश के द्वारा निरस्त कर दिया गया।

*(Handwritten signature)*

डी.के.पासी, मा.प्र.  
रा आज दि. 17-11-15  
प्रस्तुत  
1768/अ.प्र. जोर्ट  
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

डी.के.पासी (एड.)  
राजस्व मण्डल, मोतीमहल, प्रार्थी  
ग्वालियर मो.: 9753356589

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
<p><u>3.12.2015</u></p>	<p>आवेदिका की उरि ली थी वी० सी० युवा आयोग उपाध्याय । तर्क पुने गये । अनुपाध्याय का कारण समाधान- कार्य होने से मूल प्रमाण पुनर्स्थापित किया जाता है । इस प्रकार में कोई कार्यवाही होष नहीं होने से समाप्त किया जाता है ।</p>	<p><i>[Signature]</i> अध्यक्ष</p>

*[Handwritten mark]*